93 सूरए अज़ जुहा

□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□-दुहा (आयत **1–5)** का तार्किक विश्लेषण

आयतें:

1. **(ऐ रसूल) पहर दिन चढ़े की क़सम।**
2. **और रात की जब (चीज़ों को) छुपा ले।**
3. **कि तुम्हारा परवरदिगार न तुमको छोड़ बैठा और (न तुमसे) नाराज़ हुआ।**
4. **और तुम्हारे वास्ते आख़ेरत दुनिया से यक़ीनी कहीं बेहतर है।**
5. **और तुम्हारा परवरदिगार अनक़रीब इस क़दर अता करेगा कि तुम ख़ुश हो जाओ।**

□ चुना गया न्याय दर्शन तत्व : प्रमाण **(Pramāṇa) +** अनुमान **(Anumana) +** व्याप्ति **(Vyāpti)**

इन आयतों का विश्लेषण न्याय दर्शन के तीन मूलभूत तत्वों पर आधारित है: प्रमाण (ज्ञानस्रोत), अनुमान (तर्क), और व्याप्ति (सर्वसामान्य संबंध)।

✍ आयत **1:** "पहर दिन चढ़े की क़सम "

□ **Pratijna (**प्रतिज्ञा **):**

दिन चढ़ने की अवस्था को ईश्वर द्वारा प्रमाणित और महत्वपूर्ण बताया गया है।

□ **Hetu (**हेतु **):**

इस वक्त को क़सम खाकर पवित्रता और किसी महत्त्वपूर्ण दावे का प्रमाण माना गया है।

Udaharana (उदाहरण):

न्याय दर्शन में क़सम (Shapatha) तर्क नहीं, भावना या पक्षपात का रूप मानी जाती है।
मनुस्मृति 8.113 – "क़सम साक्ष्य नहीं है, सत्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से जाना जाता है।"

Upanaya (उपनय):

इस आयत में दिन के समय को केवल "क़सम" के माध्यम से महत्ता देना तर्कहीन है।

Nigamana (निगमन):

यह न्याय दर्शन की प्रमाण संकल्पना का उल्लंघन करता है क्योंकि क़सम तर्क का स्रोत नहीं हो सकती।

✍ आयत 2: "और रात की जब (चीज़ों को) छुपा ले "

Hetu:

रात की छुपाने की क्षमता को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

उदाहरण :

वैशेषिक दर्शन में रात्रि गुण (quality) मानी जाती है, पर उसका उपयोग किसी तत्व की नैतिक सत्यता सिद्ध करने के लिए नहीं किया जाता।

Nigamana:

यह आयत भी रात जैसे प्राकृतिक परिवर्तन को प्रमाण मानने की त्रुटि करती है – जो अनवश्यक अनुमान **(Ativyāpti) है।**

✍ आयत 3: "तुम्हारा परवरदिगार न तुमको छोड़ बैठा और न नाराज़ हुआ "

Pratijna:

ईश्वर ने पैग़ाम्बर से संबंध नहीं तोड़ा।

Hetu:

यह एक मानसिक आश्वासन है, न कि तात्त्विक प्रमाण।

उदाहरण **:**

भगवद गीता 9.29 – "मैं सबके प्रति समान हूँ; न कोई मेरा प्रिय है, न कोई अप्रिय।"
इसमें ईश्वर को तटस्थ और निष्पक्ष बताया गया है, जो किसी व्यक्ति से रूठता नहीं।

Nigamana:

यह आयत ईश्वर को मनुष्यों की तरह मनोभावनाओं से युक्त दिखाती है, जो न्याय दर्शन के निर्लिप्त ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध है।

✍ आयत **4: "**तुम्हारे लिए आख़ेरत दुनिया से बेहतर है "

Hetu:

अंतिम जीवन (afterlife) को वर्तमान जीवन से श्रेष्ठ बताया गया।

उदाहरण **:**

न्याय दर्शन में आत्मा का उद्देश्य मोक्ष है, परन्तु कोई "परलोक" या "स्वर्ग" की *fixed superiority* **नहीं मानी जाती।**

योग दर्शन (पातंजलि सूत्र 2.15) – "सर्वं दुःखं विवेकिनः", विवेकी के लिए सब दुःखमय है; मुक्ति का मार्ग साधना और विवेक से चलता है, न कि परलोकवादी आश्वासन से।

Nigamana:

यह कथन विवेकहीन आत्मसंतोष का निर्माण करता है और संसार की उपेक्षा कराता है – जो न्याय और योग दोनों के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

✍ आयत **5: "**तुम्हारा परवरदिगार अता करेगा और तुम ख़ुश हो जाओगे "

□ **Hetu:**

ईश्वर भावी कृपा करेगा जिससे प्रसन्नता मिलेगी।

□ उदाहरण :

यह कथन एक *unverifiable future claim* **है, जो न प्रत्यक्ष है, न अनुमान पर आधारित है।**

न्याय दर्शन केवल प्रत्यक्ष *(perception)*, अनुमान *(inference)*, शब्द *(testimony)* और उपमान *(comparison)* को प्रमाण मानता है।

□ **Nigamana:**

यह एक प्रकार की भावात्मक भ्रांति (शब्द हेत्वाभास) है, जिसमें भावना को तर्क का रूप दे दिया गया है।

□ तार्किक समीक्षा सारणी :

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य दोष
1	प्रमाण	क़सम को प्रमाण मानना तर्कहीन है
2	अनुमान	प्राकृतिक घटना को तात्त्विक प्रमाण मानना
3	प्रमाण	ईश्वर को मानवीय भावनाओं से जोड़ना
4	व्याप्ति	परलोक को सार्वभौमिक रूप से श्रेष्ठ ठहराना
5	अनुमान	बिना तर्क भविष्यवाणी करना

□ समग्र निष्कर्ष :

इन आयतों में ईश्वर के नाम पर की गई घोषणाएँ, क़समें, और भविष्यवाणियाँ न्याय दर्शन की प्रमाण और तर्क प्रणाली के विरुद्ध हैं।
इनमें प्रमाण की जगह भावनात्मक भरोसा, अनुमान की जगह रहस्यवाद, और व्याप्ति की जगह असामान्य सामान्यीकरण का प्रयोग किया गया है।

□ इसलिए यह □□□□□ **दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से न्याय दर्शन के अनुसार अस्वीकार्य हैं।**

□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□-दुहा **(**आयत **6–10)** का तात्त्विक एवं तर्कशास्त्रीय विश्लेषण

आयतें:

6. क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर (अबू तालिब की) पनाह न दी (ज़रूर दी)।

7. और तुमको एहकाम से नावाकिफ़ देखा तो मंज़िल-ए-मक़सूद तक पहुँचा दिया।

8. और तुमको तंगदस्त देखकर ग़नी कर दिया।

9. तो तुम भी यतीम पर सितम न करना।

10. माँगने वाले को झिड़की न देना।

□ चुना गया न्याय दर्शन तत्व **:** प्रमाण **(Pramāṇa) +** हेतु **(Reason) +** उपमान **(Upamāna)**

✍ आयत 6: "क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर (अबू तालिब की) पनाह न दी (ज़रूर दी)"

□ Pratijna (प्रतिज्ञा):

ईश्वर ने अनाथ मोहम्मद को सहारा दिया।

□ Hetu (हेतु):

ईश्वर का सहारा इस बात का प्रमाण है कि वह देखभाल करता है।

□ Udaharana (उदाहरण):

न्याय दर्शन में ईश्वर साक्षी, निर्दोष, और निष्क्रिय कारण (Asatkāryavāda) के रूप में देखा जाता है।

न्याय सूत्र 1.1.18 के अनुसार – ईश्वर केवल कर्त्ता नहीं, ज्ञान-साक्ष्य है।

यदि ईश्वर ने मोहम्मद को अबू तालिब की पनाह में दिया, तो कार्यकर्ता अबू तालिब हुए, ईश्वर नहीं।

□ Upanaya (उपनय):

इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्तिपरक अनुभव है, न कि सार्वभौमिक सिद्धान्त।

Nigamana (निगमन):

ईश्वर का सहारा देने का कार्य प्रमाण रूप में न्याय दर्शन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

✍ आयत 7: "और तुमको एहकाम से नावाकिफ़ देखा तो मंज़िल -ए-मक़सूद तक पहुँचा दिया "

Pratijna:

ईश्वर ने मोहम्मद को मार्गदर्शन दिया।

Hetu:

नावाकिफ़ी की अवस्था को इल्हाम से दूर किया गया।

Udaharana:

उत्तरा मीमांसा (वेदांत) में ज्ञान की प्राप्ति श्रवण, मनन, निदिध्यासन से होती है – अंधश्रद्धा या रहस्यवादी इल्हाम से नहीं।

Upanaya:

यह एक अपौरुषेय प्रमाण का उल्लंघन करता है क्योंकि कोई व्यक्तिगत अनुभव सार्वभौमिक प्रमाण नहीं बन सकता।

Nigamana:

ईश्वर द्वारा "इल्हामिक रूप से ज्ञान देना" न्याय-दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के विपरीत है।

✍ आयत 8: "और तुमको तंगदस्त देखकर ग़नी कर दिया "

Hetu:

ईश्वर ने गरीबी दूर करके धन दिया।

उदाहरण :

यदि यह सत्य होता, तो सभी गरीबों को ग़नी बना देना चाहिए – अन्यथा यह व्याप्ति दोष (exception fallacy) है।

न्याय दर्शन न्याय और निरपेक्षता में विश्वास करता है, न कि चुनिंदा कृपा में।

◻ Nigamana:

यह तर्क विशेष व्यक्ति के लिए बनाए गए कथानक पर आधारित है और सार्विकता की कसौटी पर असफल है।

✍ आयत 9: "तो तुम भी यतीम पर सितम न करना "

◻ Pratijna:

नैतिक उपदेश – अनाथ से सहानुभूति।

◻ Hetu:

क्योंकि तुम स्वयं यतीम थे, इसलिए तुम क्रूर न बनो।

◻ Udaharana:

मनुस्मृति 4.138 – "जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, वही धर्म में स्थित होता है।"

◻ Upanaya:

यह नैतिक रूप से उत्तम उपदेश है, परंतु इसका आधार न्याय-दर्शन की हेतुयुक्ति नहीं, भावना है।

◻ Nigamana:

तर्क के स्तर पर यह भावनात्मक कारण (Argument from Pathos) है, न कि सिद्धान्त पर आधारित तर्क।

✍ आयत 10: "माँगने वाले को झिड़की न देना "

◻ Hetu:

क्योंकि तुम स्वयं ग़रीब रह चुके हो, अतः दूसरों का अपमान मत करो।

□ Udaharana:

भगवद गीता 17.20 – "दान जो कर्तव्य समझकर दिया जाए, वह सात्त्विक है।"

□ Upanaya:

यह नैतिक सन्देश न्याय संगत है, परंतु न्याय दर्शन की दृष्टि से यह अनित्य अनुभव पर आधारित है।

□ Nigamana:

यह व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित नैतिकता है, सार्वभौमिक न्यायशास्त्र नहीं।

□ तार्किक समीक्षा सारणी :

आयत संख्या	न्याय तत्व	दोष/विरोधाभास
6	प्रमाण	ईश्वर की कृपा का कार्य मानवीय सहारा द्वारा हुआ है
7	अनुमान	व्यक्तिगत अनुभव को सार्वभौमिक ज्ञान का स्रोत मानना
8	व्याप्ति	सभी पर लागू न होने वाला अनुभव
9	हेत्वाभास	भावुकता से नैतिकता की स्थापना
10	उपमान	नैतिक तुलना, पर तात्त्विक तर्क नहीं

□ समग्र निष्कर्ष :

सूरह अध्-दुहा की इन आयतों में न्याय दर्शन की कसौटी पर प्रमाण की स्पष्टता, व्याप्ति की सार्वभौमिकता, और हेतु की तात्त्विकता का अभाव स्पष्ट दिखता है।
प्रेरणादायक होने के बावजूद ये आयतें तात्त्विक रूप से तर्कपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभवों और भावना पर आधारित हैं – जो न्याय-दर्शन की सुदृढ़ प्रमाण प्रणाली के विपरीत हैं।
अतः इन आयतों को दार्शनिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□-दुहा — आयत **11** का विश्लेषण

आयत 11:

"और अपने परवरदिगार की नेअमतों का ज़िक्र करते रहना"

□ चयनित न्याय तत्व **: प्रमाण (Pramāṇa) + हेतु (Hetu) + प्रमेय (Prameya)**

✍ Pratijna (प्रतिज्ञा):

ईश्वर की दी हुई नेअमतों (वरदानों) का लगातार ज़िक्र करना एक धार्मिक कर्तव्य है।

✍ Hetu (हेतु):

क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज़ें मूल्यवान हैं, इसलिए उनका बार-बार स्मरण और ज़िक्र किया जाना चाहिए।

✍ Udaharana (उदाहरण):

मनुस्मृति 2.87:
"स्वयं के प्राप्त संसाधनों को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, न कि उनका प्रदर्शन करना।"

योग सूत्र 2.32:
"संतोष (संतोषः) आत्म-शुद्धि का साधन है, न कि संपत्ति का महिमामंडन।"

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारतीय दर्शन में नेमतों या संपत्तियों का प्रदर्शन या ज़िक्र आत्म-विकास से जुड़ा है न कि बाह्य स्तुति से।

✍ Upanaya (उपनय):

"नेअमतों का ज़िक्र करते रहना" यदि आत्म-प्रकाश के लिए है, तो वह तात्त्विक रूप से स्वीकार्य है।
परंतु यदि यह केवल दिखावे या प्रचार के लिए है, तो यह न्याय दर्शन की प्रमाण प्रणाली (विशेषतः शब्द प्रमाण) में दोषपूर्ण मानी जाती है।

✍ Nigamana (निगमन):

इस आयत में नेमतों का लगातार ज़िक्र करना एक भावनात्मक/धार्मिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत है, परंतु न्याय दर्शन में यह तब तक मान्य नहीं जब तक उसका तात्त्विक प्रयोजन न हो।
यदि यह केवल ईश्वर की स्तुति या प्रचार के रूप में हो, तो यह हेत्वाभास (logical fallacy) का उदाहरण है – विशेषतः आत्म-प्रमाणात्मकता (self-referential justification) का।

□ तार्किक समीक्षा सारणी :

तत्व	न्याय दर्शन दृष्टिकोण	कुरआनी आयत दोष
प्रमाण	शब्द प्रमाण या अनुमान जब तक तात्त्विक प्रयोजन न हो, मान्य नहीं	प्रचार रूपी ज़िक्र तात्त्विक प्रमाण नहीं है
हेतु	आत्म कल्याण हेतु स्मरण स्वीकार्य है	केवल प्रचार हेतु स्मरण = हेत्वाभास
प्रमेय	ईश्वर या उपास्य वस्तु का सत्यता सिद्ध होना आवश्यक	ईश्वर की नेअमतें बिना तात्त्विक सिद्धि के मानी गईं

□ समाप्ति निष्कर्ष :

यह आयत एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में ज़िक्र का आदेश देती है, परंतु न्याय दर्शन के प्रमाण तथा हेतु सिद्धांत के अनुसार यह तभी तर्कसंगत मानी जा सकती है जब उसका उद्देश्य आत्म-शुद्धि या लोक-कल्याण हो।
इसलिए, यह आयत तात्त्विक कसौटी पर अपूर्ण और हेत्वाभासयुक्त है, और प्रमाण रूप में स्वीकृति योग्य नहीं है।